अ0शा0 परिपत्र संख्याः डीजी-41/2014

ए0एल0 बनर्जी,

आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश,

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक : जून 17 , 2014

विषयः- धारा-41(ए),41(बी),41(सी),41(डी)दण्ड प्रकिया संहिता 2008 एवं 2010 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।

प्रिय महोदय/महोदया,

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41 में वर्ष 2008 एवं 2010 में संशोधन किया गया था, जिसके अर्न्तगत पुलिस द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तारी के अधिकार को संशोधित किया गया था। इन संशोधनों के कियान्वयन हेतु पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 द्वारा पूर्व में परिपत्र संख्या-36/2011 दिनॉक 11-11-2011 एवं परिपत्र संख्या 57/12 दिनॉक 26-12-2012 निर्गत किये गये थे। अपेक्षा की गयी थी कि समस्त अधिकारी इन संशोधनों के सम्बन्ध में भलीभॉति अवगत हो जायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि थाने स्तर पर समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी भी इन परिपत्रों से विस्तृत रूप से अवगत हो जायेंगे।

इस मुख्यालय स्तर से समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों से अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले जनपदो में से किसी एक जनपद के एक थाने में माह जनवरी 2014 में की गयी गिरफ्तारियों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित हो लें कि इन परिपत्रों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं ।

प्राप्त आख्याओं से ऐसा विदित होता है कि अधिकारी व थाना स्तर पर इन प्राविधानों को भलीभॉति समझा नहीं गया है और इनका अनुपालन बहुत ही रूटीन व सरसरी तौर पर हो रहा है। यह पाया गया कि 07 वर्ष या 07 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने पर या तो कारण का अभिलेखीकरण नहीं किया गया है और यदि किया गया है तो टिप्पणी मात्र रूटीन तौर पर की गयी है, जैसे ''मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं धारा 41A व 41B दं0प्र0सं0 के

प्राविधानों के अनुपालन में 07 वर्ष से कम सजा के प्राविधान होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गयी है।'' ऐसे अपराधों में जहां गिरफ्तारी नहीं की गयी है, उनमें अभियुक्त को धारा 41A सीआरपीसी के तहत नोटिस नहीं दी जा रही है। इसी तरह 07 वर्ष से कम की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी किये जाने का कारण भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं अंकित किया जा रहा है। इन आख्याओं से ऐसा भी विदित होता है कि गिरफ्तारी के उपरान्त गिरफ्तार व्यक्ति के सम्बन्धी को सूचना भी एक सुव्यस्थित तरीके से नहीं दी जा रही है। कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरान्त रोजनामचा आम में रूटीन सी टिप्पणी अंकित की गयी है कि अभियुक्त के बताये गये मोबाइल पर सूचना दी गयी है, परन्तु कोई भी मोबाइन नं0 अंकित नहीं किया गया है। यह भी पाया जा रहा है कि जनपद में स्थित कंट्रोल रूम में गिरफ्तारी की सूचना नियमित रूप से अंकित नहीं की जा रही है।

खेद का विषय है कि इस मुख्यालय स्तर से कुछ परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक व जनपदीय पुलिस अधीक्षक से इन परिपत्रों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी तो यह पाया गया कि वे भी संशोधित परिपत्रों के बारे में पूर्णतया अवगत नहीं थे। आप सहमत होगें कि यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्रों में संशोधित प्राविधान स्पष्ट किये गये हैं। इन प्राविधानों को सरल भाषा में पुनः दोहराया जा रहा है:-

<u>धारा-41(1)(a)दण्ड प्रकिया संहिता:</u>

- इस धारा के अर्न्तगत जब भी कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष संज्ञेय अपराध करता है, तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई भी व्यक्ति अवैध शराब, अवैध शस्त्र या प्रतिबंधित नारकोटिक्स के साथ पकड़ा जाता है, तो पुलिस अधिकारी उसे इस धारा के अन्तर्गत बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस अधिकारी के समक्ष यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध, जैसे गंभीर चोट पहुॅचाना, कर रहा है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी के समय यह सुनिश्चित होना आवश्यक नहीं है कि इस अपराध में सजा 07 वर्ष या उससे कम है या अधिक है। गिरफ्तारी के उपरान्त नियमानुसार अभियुक्त को थाने से जमानत दी जा सकती है या उसे सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

धारा-41(1)(b)दण्ड प्रक्रिया संहिता:

- इस धारा के अन्तर्गत यदि पुलिस अधिकारी को यह विश्वस्त जानकारी है या उचित संदेह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है, जिसमें सजा 07वर्ष या 07 वर्ष से कम है तो वह उस व्यक्ति को बिना जमानत के तभी गिरफ्तार कर सकता है, जब निम्नलिखित दो शर्ते पूर्ण होती हो:-
  (1) पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हो कि उस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, और
  (2) पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो कि निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरफ्तारी आवश्यक है:-
    (i) व्यक्ति को आगे अन्य अपराध कारित करने के रोकने के लिए।
    (ii) अपराध की समुचित विवेचना के लिए।
    (iii) अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए।
    (iv) वाद के तथ्यों को जानने वाले किसी व्यक्ति को प्रलोभन देने, धमकाने या किसी प्रकार के आश्वासन देने पर।
    (v) न्यायालय की आवश्यकतानुसार उसके समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु।
- उपरोक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि गिरफ्तारी करने से पूर्व पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है। अभिप्राय यह है कि अभियोग की विवेचना के उपरान्त जब विवेचक संकलित साक्ष्य के आधार पर पूर्णतया संतुष्ट हो जाय कि उस व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया गया है, तभी उसकी गिरफ्तारी की जायेगी। मात्र अभियोग में नामजद हो जाने से किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जायेगी।
- व्यक्ति को आगे अन्य अपराध कारित करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की जा सकती है। यह मत बनाने के लिए विवेचक उस व्यक्ति के द्वारा कारित अपराध की गंभीरता या उस व्यक्ति द्वारा लगातार किये जा रहे अपराध या प्रकरण में असाधारण क्रूरता या पीड़ित को इतनी अधिक चोट पहुँचाना, जिससे उसकी जान जोखिम में पड़ सकती है या अभियुक्त द्वारा उसे लगातार जान से मारने की धमकी देना, इत्यादि को आधार बना सकता है।

- अपराध की समुचित विवेचना हेतु गिरफ्तारी अनुमन्य है। अत: यदि अभियुक्त से माल अथवा अन्य कोई साक्ष्य बरामद करना है तो उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। पूछतॉछ, जिसके आधार पर अग्रिम साक्ष्य मिलने संभव है, के लिए भी गिरफ्तारी अनुमन्य है।
- यदि अभियुक्त को अभिरक्षा में लेते समय विवेचक को इस बात का ज्ञान है कि कुछ ऐसे साक्ष्य उसके द्वारा विवेचना में कब्जे में नहीं लिये गये है जिसे अभियुक्त गिरफ्तार न किये जाने की दशा में मिटा सकता है, तो अभियुक्त को गिरफ्तार करना न्यायोचित होगा।
- यदि अभियुक्त इतना बलशाली या प्रभावशाली है कि वह साक्षियों को धमका सकता है, तो उसकी गिरफ्तारी करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।
- यदि ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जाता है जो खानाबदोश है या उसके ठिकाने का समुचित प्रबन्ध नही है तो विवेचक यह आधार मानते हुए कि आवश्यकतानुसार न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना मुश्किल होगा, व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।
- उपरोक्त परिस्थितियों में यदि विवेचक अभियुक्त को गिरफ्तार करता है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से अभियोग दैनिकी और रोजनामचा आम में अवश्य अंकित करेंगा।
- यह समझना आवश्यक है कि यदि विवेचक का यह मानना है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी नही करनी है तो भी यह मत बनाने के आधार का अभिलेखीकरण रोआमचाआम व अभियोग दैनिकी में अवश्य किया जायेगा।
- प्रत्येक अभियोग में गिरफ्तारी करने या न करने के लिए अलग-अलग परिस्थितियां होती है। प्रत्येक अभियोग के विषय को ध्यान में रखते हुए विवेचक को कारण अंकित करने होंगे। कारणों को रूटीन तरीके से न लिखा जाय।
- उपरोक्त परिस्थितियों में जब अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय लिया जाता है तो धारा-41A दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाय। इस नोटिस के द्वारा उसे नोटिस की शर्तो का पालन करने व विवेचक के या किसी अन्य के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

यदि व्यक्ति नोटिस के निर्देशों का पालन करने में असफल होता है या अपने आप को पहचनवाने में अनिच्छुक है तो उसे गिरफ्तार किया जायेगा।

धारा-41(1)(ba)दण्ड प्रकिया संहिता:

- इस धारा के अर्न्तगत यदि किसी पुलिस अधिकारी को यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है या उसके पास विश्वसनीय सूचना है कि व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध किया गया है जिसमें 07 वर्ष से अधिक की सजा है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जायेगा । अभिप्राय यह है कि विवेचना में साक्ष्य संकलन के उपरान्त यह संतुष्ट होने के बाद कि उस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है, उसकी गिरफ्तारी की जाऐगी।

धारा-41(1)(d)दण्ड प्रकिया संहिता:

- इस धारा के अर्न्तगत उस व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है, जिसके पास चोरी का सामान होने का संदेह है और पुलिस अधिकारी इससे भी सुनिश्चित है कि उस व्यक्ति के द्वारा चोरी की गयी है।

धारा-41(1)(e)दण्ड प्रकिया संहिता:

- इस धारा के अर्न्तगत ऐसा कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी को उसके कार्य करने में बाधित करता है या जो बैध अभिरक्षा से भागा है या भागने का प्रयास करता है तो उसे भी बिना वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

धारा-41(1)(i)दण्ड प्रकिया संहिता:

- इस धारा के अर्न्तगत यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक यह सूचना मिलती है कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध किया गया है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी स्वाभाविक है, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अनुमन्य है।

अन्य

धारा-41(1)(c),(f),(g) व (h) के अर्न्तगत दण्ड प्रकिया सहिता के तहत घोषित अपराधी, आर्मड फोर्सेज का भगोड़ा, इत्यादि की भी बिना वारण्ट के गिरफ्तारी की जा सकती है।

धारा-41B दण्ड प्रकिया संहिता:

- इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि जो भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करता है तो अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए वह अपना नाम व पद स्पष्ट रूप से इंगित करेगा।
- गिरफ्तारी के समय फर्द गिरफ्तारी बनाई जायेगी। इस फर्द पर कम से कम एक गवाह, जो कि गिरफ्तार व्यक्ति का रिश्तेदार या मोहल्ले का गणमान्य व्यक्ति होगा, के हस्ताक्षर कराये जायेगें। साथ ही साथ गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर कराने अनिवार्य है।
- यह आवश्यक है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार के हस्ताक्षर फर्द गिरफ्तारी पर नही हैं, तो उसके रिश्तेदार को गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। यह सूचना रूटीन तौर से रोजनामचा आम में नही अंकित की जायेगी। रोजनामचा आम में स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा कि रिश्तेदार को किस प्रकार से गिरफ्तारी की सूचना दी गयी है।

धारा-41C दण्ड प्रकिया संहिता:

- इस धारा के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि जिला नियंत्रण कक्ष पर नोटिस बोर्ड में ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति का नाम/पता, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम, गिरफ्तारी की धारा तथा थाने का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक एक घण्टे में समस्त थानों से गिरफ्तार अभियुक्तों की सूचना को अद्यावधिक करता रहे।
- इस धारा में भी प्राविधानित किया गया है कि प्रदेश स्तर पर पुलिस मुख्यालय पर भी गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध रहे। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे से पूर्व सभी गिरफ्तार व्यक्तियों की अद्यावधिक सूचना ई-मेल dgpcontrol-up@nic.in/ contolroomdgp@gmail.com पर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के कंट्रोल रूम को भेजी जायेगी। इस सूचना को प्रिन्ट करने की आवश्यकता नही है। प्रत्येक दिवस की सूचना का अलग से कम्प्यूटर पर फोल्डर बनाकर रखा जायेगा।

मै अपेक्षा करता हूँ कि आप इस परिपत्र का भलीभाँति अध्ययन कर कार्यशालायें आयोजित करेंगें और सुनिश्चित होंगे कि समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी इस परिपत्र से पूणतया अवगत हो चुके है। यह कार्यवाही जून 2014 में संपन्न कर ली जाये। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगें कि जनपदीय पुलिस अधीक्षक एवं अन्य राजपत्रित अधिकारी जनपद स्तर व क्षेत्र स्तर पर जाकर इन कार्यशालाओं को आयोजित कर चुके है। जोनल पलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक आकस्मिक रूप से थाने पर जाकर चेक करेंगें कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को इस परिपत्र की पूर्णतयः जानकारी है। माह जुलाई 2014 में इस मुख्यालय से टीमें भेजकर इस परिपत्र के अनुपालन के सम्बन्ध में पड़ताल की जायेगी और यदि इस परिपत्र के अनुपालन में शिथिलता पायी गयी तो थाना स्तर से वरिष्ठ अधिकारी स्तर की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

कृपया इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों को गंभीरता से लें।

भवदीय,

17/06/14

(ए0एल0 बनर्जी)

1-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।(नाम से)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
3. जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिशिचित करने हेतु प्रेषित।
4. परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी कंट्रोल रूम, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 को उपरोक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।